रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D(D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 10, 1977/अग्रहायण 19, 1899

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 1977/AGRAHAYANA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1977

सा०का०नि० 1654.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412 तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, आंध्र प्रदेश से संबंधित मद 1 के सामने, उच्च न्यायालय से संबंधित उपमद (क) में, स्तम्भ (2) में, विद्यमान प्रविष्टि को उसकी प्रविष्टि (i) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(ii) श्री उपेन्द्र लाल वाघरे,
अपर केन्द्रीय सरकार स्थायी काउन्सेल।"

[सं० फा० 36(3)/77-न्या०]

एम० गुप्तु, सालिसिटर

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 24th October, 1977

G.S.R. 1654.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Late Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely :—

In the Schedule to the said notification, against item 1, relating to Andhra Pradesh, in sub-item (a) relating to High Court, in column (2), the existing entry shall be numbered entry (i) thereof and after the entry as so numbered the following entry shall be inserted, namely :—

"(ii) Shri Upendra Lal Waghray,
Additional Central Government Standing Counsel.".

[No. F. 36(3)/77-Judl.]

S. GOOPTU, Solcitor

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1977

सा०का०नि० 1655.—भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पांचवा संशोधन नियम, 1977 है।

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

New Delhi, the 23rd November, 1977

G.S.R. 1666.—In pursuance of the decision of the Government of India to promote Urdu, it has been decided to declare the Bureau for Promotion of Urdu a subordinate office of the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education) with effect from 5th November, 1977. The staff sanctioned for the Bureau is indicated in the Annexure.

2. The functions of the Bureau will be as follows :

(i) To function as the secretariat of Taraqqi Urdu Board and to produce academic literature as well as other types of literature in Urdu, including science books, for disseminating modern knowledge, children's literature, reference works, encyclopaedias and basic texts etc.

(ii) Such other functions as may be entrusted to the Bureau from time to time by the Government.

3. Under Rule 10-A of the Delegation of Financial Powers Rules 1958 as amended from time to time, the Principal Publications Officer (Urdu) in the Bureau will function as head of the office for purposes of Financial Rules, Fundamental Rules and Supplementary Rules as amended from time to time. He will also function as Controlling Officer in respect of the staff in the Bureau and members of the Taraqqi Urdu Board.

ANNEXURE

Bureau for Promotion of Urdu

No. of Posts sanctioned for the Bureau-38

Name of Post	No. of Posts	Scale of Pay
1 Principal Publication Officer	1	Rs. 1500—1800
2. Assistant Director (Senior Research Officer)	3	Rs. 700—1300
3. Research Officer	4	Rs. 650—960
4. Superintendent	1	Rs. 550—750
5. Research Assistant	11	Rs. 550—900
6. Accounts Clerk	1	Rs. 330—560
7. Upper Division Clerk	3	Rs. 330—560
8 Technical Assistant	2	Rs. 425—700
9. Technical Secretary	1	Rs. 550—900
10. Personal Assistant	1	Rs. 425—700
11. Lower Division Clerk	5	Rs. 260—400
12. Urdu Typist	2	Rs. 260—400
13. Daftry	1	Rs. 200—250
14. Chowkidar	2	Rs. 196—232

[No. F. 15-2/77-Desk. III]

K. K. SETHI, Director (Languages)

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1977

सा०का०नि० 1667:—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पत्तन के न्यासियों के बोर्ड द्वारा निर्मित और केरल सरकार के तारीख 31-5-77 और 7-6-77 के राजपत्र में प्रकाशित "कोचीन पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1977" नामक विनियमों का अनुमोदन करती है।

[सं० पी० ई० एक्स-58/77]

दीवान चन्द अहीर, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 19th November, 1977

G.S.R. 1667.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves of the Regulations entitled "Cochin Port Employees (Temporary Service) Second Amendment Regulations, 1977" made by the Board of Trustees of the Port of Cochin in exercise of the powers conferred by section 28, read with sub-section (2) of section 124, of the Act and published in the Kerala Government Gazette, dated the 31st May, 1977 and the 7th June, 1977.

[No. PEX-58/77]

D. C. AHIR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1977

सा० का० नि० 1668:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी, प्रसारण केन्द्र/कार्यालय 'कतिपय श्रेणी 4 पद' भर्ती नियम, 1960 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी, प्रसारण केन्द्र/कार्यालय 'कतिपय श्रेणी 4 पद' भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी, प्रसारण केन्द्र/कार्यालय 'कतिपय श्रेणी 4 पद' भर्ती नियम, 1960 की अनुसूची में :—

(1) स्टूडियो अटेंडेंट के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सम्मुख,—

(क) कालम 3 के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"210-4-250-द० रो०-5-270 रुपये";

(ख) कालम 10 के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"पदोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा";

(ग) कालम 11 के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"पदोन्नति :

उसी कार्यालय के स्टूडियो गार्डों और चपरासियों में से;

स्थानान्तरण :

आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों/कार्यालयों के स्टूडियो अटेंडेंटों में से"

(घ) कालम 12 के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी अर्थात् :—

"(1) केन्द्र/कार्यालय प्रमुख।

(2) उप निदेशक (समाचार सेवा प्रभाग और विदेश सेवा प्रभाग के मामले में) सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र इंजीनियर

(जहां किसी केन्द्र/कार्यालय का इन्चार्ज सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र इंजीनियर है, वहां प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों/सहायक इंजीनियरों में से किसी एक को नामित किया जाये)।

(3) प्रशासनिक अधिकारी/हैड क्लर्क (जहां प्रशासनिक अधिकारी/हैड क्लर्क उपलब्ध नहीं है, वहां किसी ऐसे अधिकारी को, जो उम्मीदवारों के कार्य से परिचित हो, सहयोजित किया जाये)"

(2) स्टूडियो गार्ड से संबंधित क्रम संख्या 2 के सम्मुख,—

(क) कालम 3 के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—
"200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रुपये" ;

(ख) कालम 10 के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—
"पदोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधा भर्ती द्वारा";

(ग) कालम 11 के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"पदोन्नति :

आकाशवाणी के उसी केन्द्र/कार्यालय के चपरासियों में से ;

स्थानान्तरण :

आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों/कार्यालयों के स्टूडियो गार्डों में से";

(घ) कालम 12 के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"(1) केन्द्र/कार्यालय प्रमुख।

(2) उप निदेशक (समाचार सेवा प्रभाग और विदेश सेवा विभाग के मामले में)/सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र इंजीनियर (जहां किसी केन्द्र/कार्यालय का इन्चार्ज केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र इंजीनियर है, वहां प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों/सहायक इंजीनियरों में से किसी एक को नामित किया जाये)।

(3) प्रशासनिक अधिकारी/हैड क्लर्क (जहां प्रशासनिक अधिकारी/हैड क्लर्क उपलब्ध नहीं है, वहां किसी ऐसे अन्य अधिकारी को जो उम्मीदवारों के कार्य के परिचित हो, सहयोजित किया जाये)"।

[संख्या 12019/3/77-बी० (ए०)]

एम० एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 15th November, 1977

G.S.R. 1668.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio, Broadcasting Stations/Offices, 'Certain Class IV Posts' Recruitment Rules 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio, Broadcasting Stations/Offices, 'Certain Class IV Posts' Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio, Broadcasting Stations/Offices, 'Certain Class IV Posts', Recruitment Rules, 1960,—

(1) against serial number 1, relating to the post of Studio Attendant,—

(a) for the entries in column 3, the following entries shall be substituted, namely :—

'Rs. 210-4-250-EB-5-270";

(b) for the entries in column 10, the following entries shall be substituted, namely :—

"By promotion failing which by transfer, failing both by direct recruitment";

(c) for the entries in column 11, the following entries shall be substituted, namely :—

"Promotion :

Studio Guards and Daftries in the same office;

Transfer :

Studio Attendant from other stations/offices of All India Radio";

(d) for the entries in column 12, the following entries shall be substituted, namely :—

"(i) Head of the Station/Office.

(ii) Deputy Director (in the case of News Services Division and External Services Division)/Assistant Station Director/Assistant Station Engineer (where Assistant Station Director/Assistant Station Engineer is in-charge of a Station/Office, one of the Programme Executives/Assistant Engineers may be nominated.)

(iii) Administrative Officer/Head Clerk (where Administrative Officer/Head Clerk are not available any other officer who is familiar with the work of the candidates may be associated.)"

(2) against serial number 2, relating to the post of Studio Guard,—

(a) for the entries in column 3, the following entries shall be substituted, namely :—

"Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250";

(b) for the entries in column 10, the following entries shall be substituted, namely :—

"By promotion failing which by transfer, failing both by direct recruitment";

(c) for the entries in column 11, the following entries shall be substituted, namely :—

"Promotion :

Peons in the same station/office of All India Radio;

Transfer :

Studio Guards from other stations/offices of All India Radio";

(d) for the entries in column 12, the following entries shall be substituted, namely :—

"(i) Head of the Station/Office.

(ii) Deputy Director (in the case of News Services Division and External Services Division)/Assistant Station Director/Assistant Station Engineer (where Assistant Station Director/Assistant Station Engineer is in-charge of a station/office one of the Programme Executives/Assistant Engineers may be nominated).

(iii) Administrative Officer/Head Clerk (where Administrative Officer/Head Clerk is not available any other office who is familiar with the work of the candidate may be associated.)"

[No. 12019/3/77-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.